

**संशोधित मूल वाद में डिक्री**  
**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला-उदयपुर**  
**पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.**  
**मुकदमा नम्बर : 15/24 (वाद) GCMS No. : 2024/30**

**उनवान**

1. श्री पुष्कर पिता स्व. शंकर जाट निवासी लदाना तह. मावली।
2. श्री सुरज पिता स्व. शंकर जाट ना.बा.ब.वि. माता पारस पत्नी स्व. शंकर जाट निवासी लदाना तह. मावली।
3. श्रीमती पारस पत्नी स्व. शंकर जाट निवासी लदाना तह. मावली।

.....वादीगण

**बनाम**

1. श्री उंकार पिता रामा जाट निवासी लदाना तह. मावली।
2. श्री लहरीलाल पिता उंकार जाट निवासी लदाना तह. मावली।
3. श्रीमती कैलाशबाई पत्नी लेहरीलाल जाट निवासी लदाना तह. मावली।
4. श्रीमती पुष्पा पुत्री उंकार पत्नी लेहरीलाल जाट निवासी लोठियाना तह. डूंगला।
5. उप पंजीयक अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय सनवाड तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का वासनीकलां तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व संशोधित डिक्री दी जाती है कि :-

वादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 152 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.08.2022 को संशोधित करते हुए मौजा लदाना पटवार हल्का वासनीकला तहसील मावली के आराजी नम्बर 227, 231, 232, 744, 761, 773, 774, 778, 779 किता 9 कुल रकबा 3.1160 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 को 3/8 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/8 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 4 को 1/4 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.02.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(FT) मावली

